

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2006

S.O. 462(E). – In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organisation shall exercise the function relating to the development and maintenance of the Road as specified in column (3) of the Table annexed hereto, of the corresponding Section as mentioned against it in column (2) of the National Highway as described in column (1) thereof.

TABLE

National Highway No.	Section	Stretch in Kilometre
1	2	3
1D	Srinagar-Kargil-Leh	422 km

[F. No. NH-14012/3/2006-P&M]
PRABHAKAR, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2006

का.आ. 462(अ).– केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि सीमा सड़क संगठन, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (1) में यथा उल्लिखित राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तंभ (2) में उसके सामने यथावर्णित तत्स्थानी छंड के उक्त सारणी के स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट सड़क के विकास और अनुरक्षण से संबंधित कृत्य करेगा।

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेक्षन	किलोमीटर में लंबाई
1	2	3
1 घ	श्रीनगर-कारगिल-लेह	422 किमी।

[फा.सं. एनएच-14012/3/2006-पीएंडएम]
प्रभाकर, उप सचिव